उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमतीनगर,
लखनऊ – 226010

संख्या- 46 /16/विज्ञापन अनुभाग (ग्यारह)/2026/14-परीक्षा/2026

लखनऊ : दिनांक : 21 जुलाई, 2026

शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के **विज्ञापन संख्या-14-परीक्षा/2026, लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/15** के अंतर्गत **विभिन्न विभागों के अंतर्गत** कुल **रिक्त 1829 पदों** पर चयन हेतु **दिनांक 03-06-2026** को विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत **ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि 14-07-2026, ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा /आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 03-08-2026 तथा शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 10-08-2026** निर्धारित है।

विज्ञापन संख्या-14-परीक्षा/2026, लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/15 के बिन्दु संख्या-04 में यह उल्लिखित है कि विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है। तदनुक्रम में पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त निम्नलिखित सारणी में उल्लिखित विभागों के नियंत्रणाधीन **रिक्त 108 पदों** को भी उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा है। इस प्रकार प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अब संशोधित **कुल रिक्त 1937 पदों** पर चयन की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभागवार सम्मिलित किये जा रहे पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लम्बवत आरक्षण का विवरण-

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैण्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
1	राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बस्ती	सहायक लेखाकार	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	01	00	00	00	**02**	अस्थायी
2	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश	सहायक लेखाकार	लेवल-5 वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	02	00	00	00	00	**02**	स्थायी

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैण्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
3	माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर	सम्प्रेक्षक	लेवल-5 वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200, ग्रेड-पे: 2800/-	01	00	00	00	00	**01**	अस्थायी
4	माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर	सहायक लेखाकार	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200, वेतन बैंड: 1, ग्रेड-पे: 2800/-	02	01	00	01	00	**04**	अस्थायी
5	प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय प्रयागराज	सहायक लेखाकार	वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200, वेतन बैंड: 1, ग्रेड-पे: 2800/-	02	01	00	01	00	**04**	अस्थायी
6	कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान सुल्तानपुर	सहायक लेखाकार	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200 वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	00	00	00	00	**01**	स्थायी
7	यू0 पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	सहायक लेखाकार	लेवल-5 वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	08	04	00	06	02	**20**	अस्थायी
8	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	सहायक लेखाकार (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200 वेतनमान (अधिकतम): 92300	--	00	00	01	--	**01**	स्थायी

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैण्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
9	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	सहायक लेखाकार	लेवल-5 वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	08	04	00	05	01	**18**	स्थायी
10	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	लेखा परीक्षक	लेवल-5 वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	05	03	00	03	01	**12**	स्थायी व अस्थायी
11	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	लेखा परीक्षक (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	--	01	00	01	--	**02**	स्थायी व अस्थायी
12	महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़	सहायक लेखाकार	लेवल-5 वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200, ग्रेड-पे: 2800/-	03	02	00	01	00	**06**	अस्थायी
13	राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश	सहायक लेखाकार	लेवल-5 वेतनमान (न्यूनतम): 29200 वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	01	00	00	00	**02**	अस्थायी
14	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ,	सहायक लेखाकार (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200, ग्रेड-पे:2800	--	01	00	00	--	**01**	स्थायी

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैण्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
15	ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ	सहायक लेखाकार	लेवल-5 वेतनमान (न्यूनतम)): 5200 वेतनमान (अधिकतम): 20200, ग्रेड-पे: 2800	01	01	00	00	00	**02**	अस्थायी
16	अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सहायक लेखाकार	लेवल-5 वेतनमान (न्यूनतम): 29200 वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	01	00	00	00	**02**	अस्थायी
17	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सहायक लेखाकार	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300, वेतनबैंड रु- 5200-20200, ग्रेड-पे 2800/-	09	05	00	06	02	**22**	अस्थायी
18	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	सहायक लेखाकार (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200, वेतन बैण्ड-1, ग्रेड वेतन रू0 2800	-	00	00	01	-	**01**	स्थायी
19	राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सहायक लेखाकार (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	-	01	00	00	-	**01**	अस्थायी

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैण्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
20	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज	सहायक लेखाकार	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	02	00	00	00	00	**02**	स्थायी
21	उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज	सहायक लेखाकार	वेतन बैण्ड-1 (5200-20200), ग्रेड वेतन- 2800	01	01	00	00	00	**02**	स्थायी

प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभागवार सम्मिलित किये जा रहे पदों की संख्या व उनके सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण

क्षैतिज आरक्षण का विवरण											
क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ी
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(ड़) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
1	राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बस्ती	सहायक लेखाकार	00	--	--	--	--	--	00	00	00
2	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश	सहायक लेखाकार	00	--	--	--	--	--	00	00	00
3	माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर	सम्प्रेक्षक	00	--	--	--	--	--	00	00	00

क्षैतिज आरक्षण का विवरण											
				दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां							
क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(ड़) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)	सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ी
4	माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय .सहारनपुर	सहायक लेखाकार	00	--	--	--	--	--	00	00	00
5	प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय प्रयागराज	सहायक लेखाकार	00	--	--	--	--	--	00	00	00
6	कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान सुल्तानपुर	सहायक लेखाकार	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A., O.L., B.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	00	00
7	यू0 पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	सहायक लेखाकार	00	--	00 (H.H.)	00 (O.A., O.L., Dw., A.A.V.	--	--	01	04	00
8	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	सहायक लेखाकार (विशेष चयन)	00	--	--	--	--	--	00	00	00
9	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	सहायक लेखाकार	00	--	--	--	--	--	00	03	00
10	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	लेखा परीक्षक	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A., O.L.)	--	--	00	02	00

क्षैतिज आरक्षण का विवरण											
				दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां							
क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(ड़) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)	सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ी
11	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	लेखा परीक्षक (विशेष चयन)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A., O.L.)	--	--	00	00	00
12	महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़	सहायक लेखाकार	00	--	--	--	--	--	00	01	00
13	राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश	सहायक लेखाकार	00	--	--	--	--	--	00	00	00
14	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ,	सहायक लेखाकार (विशेष चयन)	00	--	--	--	--	--	00	00	00
15	ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ	सहायक लेखाकार	00	--	--	--	--	--	00	00	00
16	अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सहायक लेखाकार	00	--	--	---	--	--	00	00	00
17	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सहायक लेखाकार	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A., O.L. Dw, Mdy, A.A.V))	--	--	01	04	00
18	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	सहायक लेखाकार (विशेष चयन)	00	--	--	--	--	--	00	00	00

क्षैतिज आरक्षण का विवरण											
				दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां							
क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(ड़) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)	सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ी
19	राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सहायक लेखाकार (विशेष चयन)	00	--	--	--	--	--	00	00	00
20	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज	सहायक लेखाकार	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A., O.L. B.L., O.A.L., L.C., Dw, A.A.V))	--	--	00	00	00
21	उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज	सहायक लेखाकार	00	--	--	--	--	--	00	00	00

दिव्यांगता की श्रेणी/ उपश्रेणी से सम्बन्धित विवरण

- L.V. (एल0वी0)-Low Vision (कम दृष्टि)
- H.H. (एच0एच0)- Hard of Hearing (श्रवण शक्ति में ह्रास)
- O.A. (ओ0ए0)- One Arm Affected (एक हाथ प्रभावित)
- O.L. (ओ0एल0)- One Leg Affected (एक पैर प्रभावित)
- B.L. (बी0एल0)- Both Legs Affected (दोनों पैर प्रभावित)
- L.C. (एल0सी0)- Leprosy Cured (रोगमुक्त कुष्ठ)
- Dw. (डीडब्लू0)- Dwarfism (बौनापन)
- O.A.L. (ओ0ए0एल0)- One Arm and One Leg Affected (एक पैर और एक हाथ प्रभावित)
- A.A.V. (ए0ए0वी0)- Acid Attack Victims (एसिड आक्रमण पीड़ित)
- M.Dy. (एम0डीवाई0)- Muscular Dystrophy (पेशीय दुष्पोषण)

अर्हता-

क्र सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
1	राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बस्ती	सहायक लेखाकार	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में **सहायक लेखाकार** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं- **(एक) भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एकाउन्टेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।** **(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल डिप्लोमा।** **अधिमानी अर्हता-** उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-11 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**
2	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश	सहायक लेखाकार	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में **सहायक लेखाकार** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं- **(एक) भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एकाउन्टेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।** **(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल डिप्लोमा।** **अधिमानी अर्हता-** उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-11 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**
3	माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर	सम्प्रेक्षक	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर अधीनस्थ गैर शैक्षणिक (उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापित सेवा नियमावलियों से विनियमित पदों से इतर पदों हेतु) सेवानियमावली, 2024 के अनुसार सेवा में **सम्प्रेक्षक** के पद के सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है- **(एक) भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एकाउन्टेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।** **(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल डिप्लोमा।** **अधिमानी अर्हता-** माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर अधीनस्थ गैर शैक्षणिक (उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापित सेवा नियमावलियों से विनियमित पदों से इतर पदों हेतु) सेवानियमावली, 2024 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**
4	माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर	सहायक लेखाकार	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में **सहायक लेखाकार** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है- **(एक) भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एकाउन्टेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।** **(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल डिप्लोमा।** **अधिमानी अर्हता-** उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-11 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**

क्र सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
5	प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय प्रयागराज	सहायक लेखाकार	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में **सहायक लेखाकार** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं- **(एक) भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एकाउन्टेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।** **(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल डिप्लोमा।** अधिमानी अर्हता- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-11 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**
6	कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान सुल्तानपुर	सहायक लेखाकार	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में **सहायक लेखाकार** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है- **(एक) भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एकाउन्टेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।** **(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल डिप्लोमा।** अधिमानी अर्हता- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-11 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**
7	यू0 पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	सहायक लेखाकार	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती- उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) सामान्य सेवा नियमावली, 1996 यथासंशोधित (कार्यालयादेश संख्या- 8787/1-1(10)/स्था0/2023-24/वा-II, दिनांक- 14 फरवरी, 2024 एवं कार्यालयादेश संख्या- 1304/1-1(10)/स्था0/2023-24/वा-II, दिनांक- 30 मई, 2024) के अनुसार सेवा में **सहायक लेखाकार** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास **भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एकाउन्टेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल डिप्लोमा** होना आवश्यक है।
8	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	सहायक लेखाकार (विशेष चयन एवं सामान्य चयन)	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में **सहायक लेखाकार** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं- **(एक) भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एकाउन्टेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।** **(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल डिप्लोमा।** अधिमानी अर्हता- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-11 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**
9	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	लेखा परीक्षक (विशेष चयन एवं सामान्य चयन)	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधीनस्थ सेवा विनियमावली, 2005 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-08 के अनुसार सेवा में **लेखा परीक्षक** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की **वाणिज्य में स्नातक उपाधि या कम्प्यूटर में "ओ लेवल" डिप्लोमा के साथ लेखा कर्म में स्नातकोत्तर डिप्लोमा** अर्हताएं होनी आवश्यक हैं। अधिमानी अर्हता- उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधीनस्थ सेवा विनियमावली, 2005 यथासंशोधित भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**

क्र सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
10	महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़	सहायक लेखाकार	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-</u> उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में **सहायक लेखाकार** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है- **(एक) भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एकाउन्टेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।** **(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल डिप्लोमा।** <u>अधिमानी अर्हता-</u> उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-11 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**
11	राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश	सहायक लेखाकार	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-</u> उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में **सहायक लेखाकार** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं- **(एक) भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एकाउन्टेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।** **(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल डिप्लोमा।** <u>अधिमानी अर्हता-</u> उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-11 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**
12	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ,	सहायक लेखाकार (विशेष चयन)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-</u> उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में **सहायक लेखाकार** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं- **(एक) भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एकाउन्टेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।** **(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल डिप्लोमा।** <u>अधिमानी अर्हता-</u> उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-11 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**
13	ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ	सहायक लेखाकार	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-</u> उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में **सहायक लेखाकार** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं- **(एक) भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एकाउन्टेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।** **(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल डिप्लोमा।** <u>अधिमानी अर्हता-</u> उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-11 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**
14	अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सहायक लेखाकार	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-</u> उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-10 के अनुसार सेवा में **सहायक लेखाकार** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है- **(एक) भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एकाउन्टेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।** **(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल डिप्लोमा।**

क्र सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
			अधिमानी अर्हता- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-11 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **1- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**
15	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सहायक लेखाकार	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में **सहायक लेखाकार** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं- **(एक) भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एकाउन्टेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।** **(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल डिप्लोमा।** अधिमानी अर्हता- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-11 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**
16	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	सहायक लेखाकार (विशेष चयन)	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में **सहायक लेखाकार** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं- **(एक) भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एकाउन्टेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।** **(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल डिप्लोमा।** अधिमानी अर्हता- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-11 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**
17	राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सहायक लेखाकार (विशेष चयन)	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में **सहायक लेखाकार** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं- **(एक) भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एकाउन्टेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।** **(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल डिप्लोमा।** अधिमानी अर्हता- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-11 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**
18	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज	सहायक लेखाकार	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में **सहायक लेखाकार** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं- **(एक) भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एकाउन्टेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।** **(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल डिप्लोमा।** अधिमानी अर्हता- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-11 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**

क्र सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
19	उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज	सहायक लेखाकार	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-</u> उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं- **(एक) भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एकाउन्टेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।** **(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल डिप्लोमा।** <u>अधिमानी अर्हता-</u> उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-11 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**

<u>आयु –</u>

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
1	राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बस्ती	सहायक लेखाकार	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-12 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, **पहली जुलाई** को क्रमशः **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की होः परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
2	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश	सहायक लेखाकार	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-12 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, **पहली जुलाई** को क्रमशः **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की होः परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
3	माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर	सम्प्रेक्षक	माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर अधीनस्थ गैर शैक्षणिक (उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापित सेवा नियमावलियों से विनियमित पदों से इतर पदों हेतु) सेवानियमावली, 2024 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायं, **पहली जुलाई** को क्रमशः **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की होः परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
4	माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर	सहायक लेखाकार	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-12 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, **पहली जुलाई** को क्रमशः **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की होः परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
5	प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय प्रयागराज	सहायक लेखाकार	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-12 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, **पहली जुलाई** को क्रमशः **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की होः परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
6	कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान सुल्तानपुर	सहायक लेखाकार	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-12 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, **पहली जुलाई** को क्रमशः **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
7	यू0 पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	सहायक लेखाकार	यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती- उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) सामान्य सेवा नियमावली, 1996 यथासंशोधित (कार्यालयादेश संख्या- 8787/1-1(10)/स्था0/2023-24/वा-II, दिनांक- 14 फरवरी, 2024 एवं कार्यालयादेश संख्या- 1304/1-1(10)/स्था0/2023-24/वा-II, दिनांक- 30 मई, 2024) के अनुसार निगम के अधीन **सहायक लेखाकार** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, **01 जुलाई** को **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
8	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	सहायक लेखाकार (विशेष चयन एवं सामान्य चयन)	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-12 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, **पहली जुलाई** को क्रमशः **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
9	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	लेखा परीक्षक (विशेष चयन एवं सामान्य चयन)	उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधीनस्थ सेवा विनियमावली, 2005 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में **लेखा परीक्षक** के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष, जिसमें भर्ती की जानी हो, में, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जायें तो 01 जनवरी को और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जायें तो **01 जुलाई** को न्यूनतम **अट्ठारह वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **चालीस वर्ष** से अधिक की आयु न प्राप्त की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, के अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
10	महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़	सहायक लेखाकार	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-12 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, **पहली जुलाई** को क्रमशः **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
11	राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश	सहायक लेखाकार	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-12 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, **पहली जुलाई** को क्रमशः **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
12	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ,	सहायक लेखाकार (विशेष चयन)	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-12 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, **पहली जुलाई** को क्रमशः **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
13	ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ	सहायक लेखाकार	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-12 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, **पहली जुलाई** को क्रमशः **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
14	अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सहायक लेखाकार	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-12 के अनुसार सेवा में **सहायक लेखाकार** के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, **पहली जुलाई** को क्रमशः **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
15	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सहायक लेखाकार	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-12 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, **पहली जुलाई** को क्रमशः **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
16	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	सहायक लेखाकार (विशेष चयन)	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-12 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, **पहली जुलाई** को क्रमशः **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
17	राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सहायक लेखाकार (विशेष चयन)	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-12 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, **पहली जुलाई** को क्रमशः **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
18	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज	सहायक लेखाकार	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-12 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, **पहली जुलाई** को क्रमशः **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
19	उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज	सहायक लेखाकार	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2016) के भाग-4 नियम-12 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, **पहली जुलाई** को क्रमशः **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

सूच्य है कि यह शुद्धि-पत्र आयोग के विज्ञापन संख्या-14-परीक्षा/2026, दिनांक 03-06-2026 के अनुक्रम में निर्गत किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, चयन का आधार एवं विहित शर्तें व अनुदेश वहीं रहेगें, जो पूर्व में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत प्रकाशित किये गये हैं।

अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या-14-परीक्षा/2026 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा/ आवेदन सबमिट करने/ शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि यथावत रहेंगी।

ऐसे अभ्यर्थी जो प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर चुके हैं एवं इस शुद्धि-पत्र के माध्यम से विज्ञापित किये जा रहे पदों पर आवेदन हेतु अर्ह एवं इच्छुक हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने व शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उनके द्वारा पूर्व में सबमिट किये गये आवेदन पत्र में ही आवेदन में संशोधन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने आवेदन पत्र को संशोधित करते हुए इस शुद्धि-पत्र में उल्लिखित पदों के सापेक्ष अपना विकल्प एवं समस्त आवेदित पदों के सापेक्ष संशोधित वरीयता अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

यदि इस शुद्धि-पत्र के निर्गमन के पूर्व आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर चुके किसी अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार नवीन पदों हेतु विकल्प चयन एवं वरीयता का अंकन नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी का विचारण उसके द्वारा पूर्व में आवेदित पदों तथा वरीयता के अनुसार ही किया जाएगा। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि के उपरान्त इस शुद्धि-पत्र के माध्यम से विज्ञापित नवीन पदों व उनकी वरीयता के सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन अथवा दावा भविष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(हरिकेश चौरसिया)
सचिव।